दिनांक 2 जून 2022 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

मोर जमीन मोर मकान के तहत बन रहे हैं 1376 आवास, खुद का घर बनाने के लिए कर सकते हैं आवेदन, मिल रही है अच्छी खासी सब्सिडी, निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने मॉर्निंग विजिट में आवास योजना का किया निरीक्षण

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मोर जमीन मोर मकान के तहत 1376 मकान निर्माणाधीन है और 2841 मकान पूर्ण हो चुके हैं। आज मॉर्निंग विजिट में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों का निरीक्षण किया। मोर जमीन मोर मकान के तहत अगर किसी को अपना खुद का पक्का मकान बनाना हो तो जोन क्रमांक 3 मदर टैरेसा नगर जोन कार्यालय के प्रथम तल पर प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं , महापौर नीरज पाल ने अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। आवेदक की पात्रता की अगर बात करें तो आवेदक का जीवित पट्टा या भूस्वामी संबंधित दस्तावेज होना आवश्यक है। मोर जमीन मोर मकान के तहत आवेदन करने के उपरांत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सुडा को प्रेषित किया जाता है वहां से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आवेदक को सूचित कर मकान निर्माण प्रारंभ करने हेतु निशुल्क भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर सब्सिडी की बात करें तो शासन से 2.28 लाख रुपए अंशदान हितग्राही को मकान निर्माण के लिए मिलता है वही 86 हजार रुपए हितग्राही को स्वयं का अंशदान देना होता है। नीव बनाने पर प्रथम किस्त की राशि , छज्जा स्तर पर द्वितीय किस्त की राशि और छत ढलाई पर तृतीय किस्त की राशि तथा मकान पूर्ण होने पर चतुर्थ किस्त की राशि हितग्राही को अंशदान के रूप में दी जाती है। शासन से 5972 आवास स्वीकृत किए गए हैं जिसके अधीन मोर जमीन मोर मकान के तहत आवास निर्माण के लिए आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित पात्रता के आधार पर 1117 आवास और प्रारंभ किए जाने हैं। मोर जमीन मकान के तहत इसकी पूरी मॉनिटरिंग सर्वेयर एवं अनुबंधित वास्तुविद के माध्यम से होती है। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर जमीन मोर मकान के निर्माण की बात करें तो अधिकतर लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। आज निगमायुक्त ने कांट्रैक्टर कॉलोनी के पार्षद भोजराज सिन्हा के साथ वार्ड क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान नाली की समस्याओं का समाधान करने आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए।